

Institutional Arrangements

DFCCIL as project implementation agency is responsible for the overall technical aspects and execution of the Project and monitoring the use of loan funds and overall implementation process. Managing Director, DFCCIL is over all responsible for successful implementation of the RAP as head of the Organisation. DFCCIL has already set up Chief Project Manager's Offices (CPM office) to act as Project Management Unit (PMU) at Vadodra, Surat and Mumbai and are headed by an officer of the rank of General Manager. At the Head Office, an Environmental and Social Unit has already been created headed by an officer of the rank of General Manager (SEMU) to look after Land Acquisition and Rehabilitation and Resettlement process. Organizational Structure for Head Office and Project offices are given below in Figures 1 and 2:




Fig. 1 Organizational Structures for Corporate Office




Fig. 2 Organizational Structures for Field Office

Implementation Schedule

No	Activities	2010				2011				2012				2013				2014			
		2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
1	Preparation of Land Plan Notification under Section 20A of R.A.A. 2008																				
2	Hearing of Objections																				
3	Identification of Plot Owner																				
4	Notification Under Section 20(1) of R.A.A. 2008																				
5	Joint Verifications (Joint Measurement Survey)																				
6	Baseline Survey and Census																				
7	Preparation of Draft RRF																				
8	Disclosure of Draft RRF																				
9	PCNs for Draft rate																				
10	Finalization of Finalment Matrix																				
11	Preparation of Final RRF																				
12	Disclosure of Final RRF																				
13	Preparation of Compensation for Land and RRR																				
14	Finalization of Compensation for Land and RRR (as per Section 20F of R.A.A. 2008)																				
15	Deposit of Money with CA																				
16	Disbursement of Payment to PAPs																				
17	Taking possession of Land																				
18	Initiation of Work																				
19	Monitoring of Settlement																				
20	Monitoring of Settlement Impact (Quarterly, 6-monthly)																				
21	Greyance Redressal																				

Fig 3 Resettlement Timetable (Provisional)

<p>Grievance Redress Mechanism</p> <p>There shall be R&R Committees at the field and headquarter levels to hear and redress grievances made by PAP/PAFs and any other local residents having a stake in the DFC project implementation process, as per Section 8.1 of the NRRP, 2007.</p> <p>(1) Grievance Redress at the Field Level: There shall be a Resettlement and Rehabilitation Committee convened by the Chief Project Manager, which will comprise the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> District Collector of the concerned District, or his nominee (Chair); Concerned Competent Authority/Administrator (R&R) (Invitee); Concerned Assistant Project Manager-Social (only to provide for secretarial service); Zillah Parishad Chairperson/his or her nominee; and Representative from civil society/a reputed local NGO. <p>(2) Grievance Redress at Project Level: There shall be a Resettlement and Rehabilitation Committee convened by the General Manager (SEMU), which will comprise the following:</p> <ol style="list-style-type: none"> Director (Infrastructure); Deputy General Manager-Grievance; Social Specialist; and Representative of the MOR. <p>(3) Role of Arbitrator: The Arbitrator, who in this case is the Commissioner of the concerned revenue division have been duly appointed vide gazette dated July 15, 2010 to hear and redress grievances related to compensation payable under the RAA, 2008 to the PAFs.</p> <p>(4) An Ombudsman will be appointed by the MOR to hear and resolve grievances not addressed by the R&R Committees established by DFCCIL to the satisfaction of the concerned PAP/PAFs upon receipt of request from him/her.</p>	<p>management.</p> <p>9. For the complaint mechanism to function efficiently, the information concerning the alternative conduits for complaint shall be widely publicized on the website and on information boards at work sites and regional offices.</p> <p>Cost Estimate</p> <p>Estimated budget is described in the main report of Phase 2 RRP.</p> <p>Distribution of RRP report</p> <p>For further detailed information, the Rehabilitation and Resettlement Plan (RRP) will be disclosed following places.</p> <p>✓ Summary of RRP Report (this summary report) available in a vernacular language (either Hindi, Gujarati or Marathi) at each affected villages.</p> <p>✓ Full RRP Report: available in English at relevant CPM offices, DFCCIL Head Office, Major Railway Stations and District Collectorate office.</p> <p>Contact of Relevant Organisations</p> <p>CPM Office Mumbai: 7th Floor, New Administrative Building, Central Railway-DN Road, Mumbai -4000, Maharashtra</p> <p>CPM Office Surat: 4th Floor, Aruns-1 Near Icon Mall, Dumas Road, Piplod, Surat-395007, Gujarat</p> <p>CPM Office Vadodara: 13-14, 17-18, Panorama Complex, 3rd Floor, R. C. Dutt Road, Alkapuri, Vadodra - 395 007, Gujarat</p> <p>CPM Office Noida: Star House, 1st Floor, A-102, Sector-4, Noida, Uttar Pradesh</p> <p>Competent Authority:</p> <ol style="list-style-type: none"> Raigad district: Competent Authority & Deputy Collector (Land Acquisition) Raigad, Metro Centre No. 1, Uran, Raigad, CIDCO Nodal Office, Engineering Section, Dromagiri, Sector - 14, Bokadwira, Taluka Uran, Raigad Thane district: Competent Authority & Deputy Collector (Land Acquisition Officer), Western Freight Corridor, Surya Prakash, Irani Road, Opp. IDBI Bank, Dahahu, Thane Valsad district: Competent Authority & Deputy Collector (Land Acquisition Officer), II Floor, Zila Seva Sadan-2, Collector Office, Valsad Navsari district: Deputy Collector & Competent Authority, 1st Floor, "C" Block, Multistoried Building, Junathana, Navsari Surat district: Competent Authority & Special Land Acquisition Officer, Branch No. 4, 5th Floor "A" Block, Bahumali Bhavan, Surat Bharuch district: Competent Authority & Special Land Acquisition Officer, Land Acquisition Branch, Collector Office, Bharuch Vadodra district: Special Land Acquisition Officer Unit No. 1, Room No. 615, 6th Floor, Kuber Bhavan, Kothi Compound, Vadodra Rewari district: District Revenue Officer (DRO), DC Office, Mini Secretariate, Rewari Alwar district: Sub-Divisional Magistrate (SDM)/SDO, SDM/Tijara, Tehsil Tijara, Alwar Mewar district: District Revenue Officer (DRO), DC Office, District Secretariate, Nuh, Mewar
<p>Complaint Handling System in DFC Corporate Level</p> <p>(1) Field Level Complaint Handling System</p> <ol style="list-style-type: none"> The complaints/grievances regarding compensation for agricultural, residential & commercial and others properties, will be handled by the CPM offices initially. After verification of documents if it is found genuine it will be solved CPM level only. If it is not solved at the field level, it will be referred to HQ. <p>(2) Corporate Level Complaint Handling System</p> <ol style="list-style-type: none"> A centralized complaint handling system, which includes maintaining a project log and filing to monitor status of follow up of each received complaints, will be established by the DFCCIL. Complaint handling system has been established in terms of MOR & CVC guidelines. Complaint registers have been opened at each regional office and with each GGM/GM at Corporate office. All complaints received by the concerned office shall be entered into this register. Complaints having vigilance angle shall be marked to CVO by the concerned officer. GMIT has been nominated as the Chief Complaint Handling officer to monitor the disposal of complaints received and put up the status to the Board of Directors on monthly basis. Recording and appropriate referral of all incoming grievances or complaints will be undertaken by the DFCCIL with each case generating an automatic, standard format report. DFC will respond to all complaints, received from any source, normally within fifteen days of receipt. Comments, Suggestions and Grievances Handling component will be included on the web site (http://www.dfccil.org). This will be updated on a monthly basis. The site will also enable online tracking of complaints by the complainants. Tracking of the status of investigations and measures taken will be reported in monthly reports to 	<p>18 Page</p>
<p>Complaint Handling System in DFC Corporate Level</p> <p>(1) Field Level Complaint Handling System</p> <ol style="list-style-type: none"> The complaints/grievances regarding compensation for agricultural, residential & commercial and others properties, will be handled by the CPM offices initially. After verification of documents if it is found genuine it will be solved CPM level only. If it is not solved at the field level, it will be referred to HQ. <p>(2) Corporate Level Complaint Handling System</p> <ol style="list-style-type: none"> A centralized complaint handling system, which includes maintaining a project log and filing to monitor status of follow up of each received complaints, will be established by the DFCCIL. Complaint handling system has been established in terms of MOR & CVC guidelines. Complaint registers have been opened at each regional office and with each GGM/GM at Corporate office. All complaints received by the concerned office shall be entered into this register. Complaints having vigilance angle shall be marked to CVO by the concerned officer. GMIT has been nominated as the Chief Complaint Handling officer to monitor the disposal of complaints received and put up the status to the Board of Directors on monthly basis. Recording and appropriate referral of all incoming grievances or complaints will be undertaken by the DFCCIL with each case generating an automatic, standard format report. DFC will respond to all complaints, received from any source, normally within fifteen days of receipt. Comments, Suggestions and Grievances Handling component will be included on the web site (http://www.dfccil.org). This will be updated on a monthly basis. The site will also enable online tracking of complaints by the complainants. Tracking of the status of investigations and measures taken will be reported in monthly reports to 	<p>17 Page</p>

11. Gurgaon district: District Revenue Officer (DRO), Mini Secretariat, Gurgaon
12. Palwal district: Sub-Divisional Magistrate (SDM), SDM Office, Palwal
13. Faridabad district: District Revenue Officer (DRO), Mini Secretariat, Sector-12, Faridabad
14. Gurgaon district: Sub-Divisional Magistrate, SDM (Sadar), DM Office, Gautam Budh Nagar

SEMU, DFCCIL, Head Office: Pragati Maidan, Metro Station Building, New Delhi – 110001

[Hindi]

कार्यकारिणी साक्ष्य

परियोजना-एक नजर में

रेल मंत्रालय दो महानगरों दिल्ली और मुंबई और उनके अपने राज्यों के बीच एक शताब्दत लागत और कम समय में बिना किसी बाधा के बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं के बीच और सरल यातायात के लिए एक बहु आयामी उच्च एकल लदान डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना कियामित कर रहा है। विलीयन वर्ष 2013-14 में 37.7 मिलियन के माल ढाड़ा लदान के लिए इसे तैयार किया गया है जो अगले 10 वर्षों में 140.4 मिलियन तक बढ़ जाएगा। परियोजना अभी क्रियोजन स्तर पर है। इसे 2006 में शुरू किया गया था और 2012 में पूरा होगा। निर्माण कार्य 4-5 वर्षों में वर्ष 2012 से 2016 के बीच में पूरी करने की योजना है। अतिरिक्त यातायात विसम्बर 2016 से शुरू होने की योजना है।

सामान्य विशेषताएं

- कोरीडोर की लंबाई: 885 कि.मी.
- वजोदा-मुम्बई सेक्शन की लंबाई- 420 कि.मी.
- रेवाड़ी-दादरी सेक्शन की लंबाई- 145 कि.मी.
- जलपन स्टेशन- 8, कार्गिंग स्टेशन- 11
- मुख्य एवं महत्वपूर्ण पुलों की संख्या- 185
- और जोड़ी की संख्या- 77
- जहाँ से संरक्षण मुजरेगा: महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली।
- शक्ति बिजली: 14
- शक्ति पाँक: 374
- रास्ते की चौड़ाई: समानंतर सेक्शन में लगभग 35 मी., घुमावदार सेक्शन में 60 मी.
- अधिकतम गति: 100 कि.मी. प्रति घंटा

परियोजना के लाभ

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना का उद्देश्य पर्यावरण के साथ-साथ भारत में अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठान दर को घटाने में मदद करना है।

रेल मंत्रालय / डीएफसीसीआईएल

बयोट-जेएनपीटी एवं रेवाड़ी-दादरी के बीच डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर परियोजना (द्वितीय चरण) के लिए पुनर्वास और पुनः स्थापना योजना

(आर बार पी)

नवम्बर - 2011

की जा रही है। इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 लागू नहीं है।

➤ राष्ट्रीय पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति, 2007 डीएफसी परियोजना के लिए बहुत कम भूमि की आवश्यकता है। रेलवे परियोजना के लिए रेलवे अधिग्रहण पर एनआरएफपी 2007 का पैरा 7.19 तब तक लागू रहे जब तक डीएफसी परियोजना के लिए लागू है।

➤ सबसे प्राथमिकी ऐन ए 2008 जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अंतर्गत रेलवे क्षेत्र के लिए, जो डीएफसी परियोजना के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त हों, के लिए सतम प्राथमिकी के तर्कों के निष्पादन के लिए अधिकृत किया गया है।

अन्य ए 2008 के अनुसार इच्छुक व्यक्ति

1. इस अधिनियम के अंतर्गत भूमि के अधिग्रहण के कारण होने वाली क्षतिपूर्ति का दावा करने वाले सभी व्यक्ति।
2. आदिवासी और अन्य जनजाति जो अनुज्ञाति और अन्य पारंपरिक जनजाति (बच अधिकार की शर्तों) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अपने पारंपरिक अधिकारी को चुके हैं।
3. रेलवे क्षेत्र जो भूमि को सुविधा से प्रभावित हो
4. ऐसे व्यक्ति जो राज्य के नियमों के अंतर्गत नियंत्रण का अधिकार रखते हैं।

अंतिम तारीख

अन्य ए 2008, एनआरएफपी 2007 के अनुसार यात्रा के लिए अंतिम तारीख है—

- i) अंतिम स्थापना अधिनियमों एवं और स्थापना अधिनियमों के लिए वह तारीख जब अन्य ए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत अधिसूचना निर्धारित की गई हो।

➤ भारत में मालवाहक यातायात के सुधार के कारण राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक विकास को तेज करना।

➤ डीएफसी के साथ औद्योगिक विकास के बढ़ने से क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

➤ डीएफसी द्वारा दूरी और गति के आधार पर वन और वन्य विभाग के सात-आठ क्षेत्रों में किसानों के लिए बाजार का विकास और सुधार होगा जिससे कृषि उत्पादन के यातायात में सुधार होगा।

➤ ट्रक द्वारा यातायात की तुलना में वस्तुओं के यातायात के लिए कम खर्च का उपयोग।

➤ डीएफसी संरक्षण के साथ स्थानीय समुदाय के कारण कोष्ठ संरक्षण नहीं (सड़क द्वारा ट्रक से परिवहन संरक्षण की कमी)

पश्चिमी कोरीडोर में डीएफसी परियोजना (द्वितीय चरण) का भूमि अधिग्रहण पैटर्न

डीएफसी रेलखाने बलौर-सुरत-बराई-बोएपाटी और रेवाड़ी-दादरी से होकर गुजरता है। भूमि के अधिग्रहण और पुनः स्थापना का रेलीय पैटर्न परियोजना अभिकल्प के लिए अपेक्षित होगा। स्थानीय प्रकार के दावे, स्थानीय समुदाय, राष्ट्रीय नियोजन क्षेत्र, विद्यार्थी क्षेत्र, परियोजना के साथ धर्म हस्तों द्वारा शाही क्षेत्र में अध्याय आदि को बचाने या नुकसान को कम से कम करने के लिए बकरदार रेलखाने पर विचार किया गया है। मूल रूप से कुछ जगहों पर रेलखाने सतम रेलवे लाइन के समान है। जबकि सुरत, वाणु, बराई, कुन्दे, बहाल और रेवाड़ी-दादरी में यह बकरदार है, दोनों ही स्थितियों समानांतर और गुप्तवदर संरक्षणों में कुछ भूमि की आवश्यकता पड़ेगी।

(D) निष्पादन एजेन्सी (E.A)

डेडीकेटेड ग्रेट कोरीडोर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड

डीएफसी परियोजना के लिए आधारभूत विधान और भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास और पुनः स्थापना

➤ रेलवे संशोधन अधिनियम, 2008

ऐसा अधिनियम है जिसके अंतर्गत डीएफसी परियोजना (जिसे विशेष रेलवे परियोजना के रूप में घोषित किया गया है) द्वारा भूमि अधिग्रहित

- भूमि से इच्छुक कोई व्यक्ति भूमि अधिग्रहण के इरादे की घोषणा के लिए अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिन के अंदर भूमि अधिग्रहण के लिए आपत्ति प्रकट कर सकता है (संख्यान 2007(1), आरआरए 2008)।
- मवन और अन्य अवल सव्यति या सव्यतियां, वृक्ष, पौधे और उरा भूमि या मवन पर खड़ी फवल लिसे अधिसूचित किया जाना है, की बाजार कीमत का निर्धारण उच क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा (संख्यान 20 जी (4.5.6), आरआरए 2008)।
- क्षतिपूर्ति राशि सप्रान्तः भूमि अधिग्रहण की घोषणा की अधिसूचना के एक वर्ष के अंदर दे दी जाएगी। अपरिहार्य परिस्थितियों में इसे 3 माह तक बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाई गई स्थिति में एक इनाम भी दिया जाता है। अधिस्त व्यक्तियों को इनाम में देरी के कारण ऐसे बिलंब के प्रत्येक माह को उस अवधि के लिए एक अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दी जाएगी संख्यान 20 एफ (7.2) आरआरए 2008)।
- क्षतिपूर्ति लेने के लिए नोटिस के एक वर्ष बाद तक यदि इच्छुक व्यक्ति क्षतिपूर्ति राशि के लिए दावा नहीं करता है तो ऐसे मामले में क्षतिपूर्ति राशि ईर के पास एक अलग खाते में परियोजना के अंत तक रख दी जाएगी। इच्छुक पाटियां अपनी क्षतिपूर्ति का दावा या तो स्वयं या अपने वेंच उल्लेखिकारी के माध्यम से शतावतक सत्यापन के बाद कर सकती है।
- इस अधिनियम के अंतर्गत अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1984 में से कुछ भी लागू नहीं होगा।
- रेलवे लाइनों जैसे रेखीय अधिग्रहण के मामले में, जहाँ परियोजना के उद्देश्य के लिए बहुत कम भूमि अधिग्रहण की जाती है या रास्ते का उपयोग किया जाता है, प्रभावित परिवार में प्रत्येक खातेदार को अधिग्रहण द्वारा एक इतनी अनुदान राशि के मुताबिक की प्रेषकश की जाएगी जितनी उपर्युक्त सरकार द्वारा तब ही किंतु 20000/-रु. से कम न हो। क्षतिपूर्ति के अलावा या अधिग्रहण के अंतर्गत देय कोई अन्य लाभ या कांठिकम या योजना बिलके अंतर्गत भूमि, धर या अन्य सव्यति अधिग्रहण की जाती है (संख्यान 2007)।

पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति

पुनः स्थापना और पुनर्वास नीति उन सिद्धांतों पर आधारित है कि परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति परियोजना से पहले की उनकी स्थिति से अच्छी हो।

नीति के अनुसार आरआरपी के उद्देश्य

- परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों की स्थिति परियोजना के कारण उनकी पहले की स्थिति से बदतर नहीं होगी।
- सभी व्यवहार्य विकल्पों को अपनाकर भूमि अधिग्रहण और अर्थविकिक पुनः स्थापना प्रयत्नों को बनाना या कम से कम करना।
- पुनर्वास पैकेज की शवीयता सुनिश्चित करना और प्रभावित परिवारों के सक्रिय सहयोग से पुनर्वास प्रक्रिया के कार्यान्वयन में तेजी लाना।
- अनु.जा./अनु.जा.ज./ महिलाओं, बुजुर्गों, एवं विकलांगों/अधुशक्ति संग्रहों जैसे कमजोर वर्ग के लोगों के लिए विशेष बेंच-याल
- बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराना और पीरपीज के मरण-भोषण के लिए आर प्रदान करना।
- अधिग्रहण और प्रभावित परिवारों के बीच आपसी सहयोग द्वारा नेत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना।
- भूमि को लेने और उस पर किसी प्रकार की निर्माण गतिविधि आरंभ करने से पूर्व क्षतिपूर्ति और पुनः स्थापना सहायता के मुपतान को सुनिश्चित करना।

मौलिक क्षतिपूर्ति नीति

- भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी रेल मंत्रालय द्वारा नामित सक्षम प्राधिकारी की होगी।
- मूलरूप से क्षतिपूर्ति की राशि भूमि खाने वाले व्यक्ति को आर एए 2008 के अनुसार दी जाएगी। आर एए 2008 के अनुसार बाजार दर निर्धारित की जाएगी और भूमि की बाजार दर के अलावा हर मामले में अधिग्रहण की औचित्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए बाजार कीमत की 60 प्रतिशत राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी (संख्यान 20एफ(9), आरआरए 2008)। अन्यथा, राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए मंजूर दर को सक्षम प्राधिकारी आर एए 2008 के अनुसार अपना सकते हैं।

क्षतिपूर्ति, सहायता और पुनर्वास के लिए पात्रता

- पात्रता के लिए अंतिम तारीख वह तारीख है जिस पर प्रस्तावित क्षेत्र में अधि मालिकों और और रसायनधारकों के लिए आरएए 2008 की धारा 20 ए के अंतर्गत निर्धारित अधिसूचना के अनुसार अधिसूचना जारी की जाती है।
- पीएपीज की विभिन्न श्रेणियों के पात्रता नीचे अनुसूची में दिखाए गए मौलिक पात्रता के अनुसार होंगी।
- पात्रता की हकई परिवार होगी।
- रसायनधारक पीएपीज सहायता के साथ-साथ क्षतिपूर्ति के लिए भी पात्र होगा।
- और रसायनधारक पीएपीज उनका द्वारा प्रयोग में लाई जा रही संपत्ति की क्षतिपूर्ति के लिए पात्र नहीं होगा। फिर भी भूमि पर किए गए निवेश जैसे टार्गल और अन्य संपत्तियों के स्थानापन्न कीमत के अनुसार क्षतिपूर्ति मिलेगी (इन्टरहाइलमेट मैट्रिक्स के नोट 4ी व नोट 5क के अनुसार)। वे पुनः स्थापना नीति और मौलिक पात्रता के अनुसार आर एवं आर सहायता के लिए भी पात्र होंगे।
- गणना के दौरान न मिलने पर पीएपीज के मामले में प्रभावित क्षेत्र में अंतिम तारीख से पहले संपत्ति अधिस्थिति को कोई साक्ष्य सिद्ध करना है तो शिकारत निपटान समिति द्वारा उचित सत्यापन के बाद उसे पीएपीज की सूची में शामिल कर लिया जाएगा।
- अप्रत्यक्ष समूहों के पीएपीज मौलिक पात्रता में निर्दिष्ट अतिरिक्त सहायता के लिए पात्र होंगे।
- पीएपीज वर्तमान में सामग्री के अन्वेषण को बिना किसी लागत के परिगणना अतिविधियों में बिना किसी देरी के ले जा सकेगा।
- वेस्टली के लिए यदि कोई नोटिस किसी व्यक्ति/परिवार को अंतिम तारीख से पहले दिया गया है और गणना न्यायालय में लंबित है तो ऐसी स्थिति में पीएपीज की पात्रता न्यायालय द्वारा निर्धारित कानूनी स्थिति के अनुसार की जाएगी और आर पी के प्रावधानों के अनुसार पीएपीज क्षतिपूर्ति/सहायता के लिए पात्र होगा।

पीएपीज के मामले में जो भूमिहीन कर दिये जाते हैं या भूमि अधिग्रहण के कारण उनकी स्थिति फोटे या सीमांत किसान तक सीमित कर दी जाती है तो वे 750 दिन की न्यूनतम कृषि मजदूरी के बराबर पुनर्वास सहायता पाने के हकदार होंगे।

परियोजना के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापना के लिए सामान्य सिद्धान्त

- परियोजना से उभावित व्यक्ति/परिवार (पीएपीज/पीएएफए) को रसायनधारक, और रसायनधारक, किडोफक, वेजर्स आदि में ओटिस्कृत किया जाएगा।
- विभिन्न श्रेणियों के पीएपीज के लिए मौलिक पात्रता (इन्टरहाइलमेट मैट्रिक्स) के अनुसार क्षतिपूर्ति और सहायता दी जाएगी।
- पीएपीज का उनका जीवन स्तर सुधारने के लिए परिवर्धना लागत पर सहायता दी जाएगी।
- मौलिक पात्रता(इन्टरहाइलमेट मैट्रिक्स) के अनुसार अप्रत्यक्ष पीएपीज को पुनर्वास और पुनः स्थापना के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
- पीएपीज अपनी खोई हुई संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ति स्थानापन्न लागत पर प्राप्त करेंगे।
- अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद यदि कोई परियोजना क्षेत्र में आता है तो यह सहायता का हकदार नहीं होगा।
- परियोजना का अलग पुनः स्थापना बजट होगा।
- पुनर्वास और पुनः स्थापना नीति, न्यूनीकरण उपाय, पुनः स्थापना योजना तैयारी और कार्यान्वयन से संबंधित समस्त प्रकार की सूचना पीएपीज सहित सभी स्टेक होल्डरों को दी जाएगी।
- अर्धपूर्ण ग्राफीदारी के लिए परियोजना कोक विभिन्न स्तरों पर स्टेक होल्डरों के साथ लोक परामर्श बैठक आयोजित की जाएगी।
- समूहों के शीघ्र निपटान के लिए समुक्त शिकायत निपटान तंत्र स्थापित किया जाएगा।
- स्टेक होल्डरों और पीएपीज के साथ हुई बातचीत को दर्ज किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अर्धपूर्ण बातचीत पुनर्वास और पुनःस्थापना योजना के दौरान भी जारी रहेगी।
- अंतिम तारीख की समाप्ति के बाद रसायनधारक/टेनेसी की स्थिति में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा।

आरएए 2008 और एनआरआरपी 2007 पर आधारित डीएफसीसी परियोजना के लिए
मौलिक पात्रता

(इन्फ्रास्ट्रक्चर मैट्रिक्स)

क्रम संख्या	आवदन	प्रभावित व्यक्तिता की परिभाषा	दकदारी	विवरण
1	परियोजना के रास्ते में आने वाली कृषि	<p>पारंपारिक कृषि अधिकारों सहित वंश शीर्षक धारक और प्रभावित पार्टियां</p>	<p>1. स्थानापन्न लागत पर क्षतिपूर्ति 2. पुनः स्थानापन्न और पुनवास</p>	<p>(i) उस भूमि के लिए बाजार मूल्य पर नकद क्षतिपूर्ति जो नोट (ए) (आर ए ए 2008 की धारा 20 (क)) में चर्चित अनुसूचित अनुसूचित निवासियों को प्राप्त होगी। (ii) उपर्युक्त (i) आर ए ए 2008 की धारा 20 एक (ड) में निर्धारित क्षतिपूर्ति पर 60 प्रतिशत मुआवजा (iii) ऐसी स्थिति में जहाँ कि राज्य सरकार द्वारा कोई एकट या गजट नोटिफिकेशन या अन्य कोई भूमि मुआवजे के उद्देश्य से दर निर्धारण की मंजूरी की गई हो, संक्षम प्राधिकारी सलाह (i) एवं (i) के बदले में उसी की अपना सकते हैं। (iv) 1500 वर्ग मीटर तक की अधिशुद्ध भूमि के लिए 2,00,000/- एवं उससे ऊपर की अधिशुद्ध भूमि हेतु 15 लख प्रति वर्ग की दर से क्षतिपूर्ति अनुमान राशि देय होगी। (एन आर आर पी पैरा 7.19) (v) भूमि अधिग्रहण के परिणामस्वरूप यदि भूमि धारक भूमि हीन हो जाता है या संशकी स्थिति</p>

<p>‘नोट’ या ‘सीमांत’ किसान को जो जाता है तो उसे 750 दिन के बराबर न्यूनतम कृषि मजदूरी की पुनर्वास सहायता दी जाएगी। (vi) सदेह/झाड़े के मामले में संक्षम प्राधिकारी मुआवजे की राशि निर्धारित करने में पूर्व एक स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ता से मदद ले सकता है। इस संबंध में विस्तृत प्रक्रिया नोट की नो है। (vii) अधिग्रहण/अवशेष भूमि के लिए क्षतिपूर्ति की कोटि नोट की नो अनुसार होगी। (viii) स्टैंड स्टूडी का रिफंड और स्थानापन्न भूमि के लिए उगाए गए पौधों/पौधों के प्रसार परियोजना द्वारा दिये जाएंगे। स्थानापन्न भूमि आर ए ए 2008 की धारा (एच) के अनुसार प्रभावित पार्टी को क्षतिपूर्ति के पुनर्वास की तारीख से एक वर्ष के अंदर खरीद ली जाएगी।</p>	<p>पंजीकृत किरायेदार टेकेदार और पट्टेधारक भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए योग्य दर दे। वे बाजार दर पर अधिग्रहण क्षतिपूर्ति के लिए तबकी योग्य होंगे जब ई ए द्वारा 3 ग्राह पूर्व नोटिस नहीं दिया गया हो।</p>	<p>खड़ी फसल के लिए दर पर क्षतिपूर्ति</p>	<p>पंजीकृत किरायेदार टेकेदार और पट्टेधारक भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए योग्य दर दे। वे बाजार दर पर अधिग्रहण क्षतिपूर्ति के लिए तबकी योग्य होंगे जब ई ए द्वारा 3 ग्राह पूर्व नोटिस नहीं दिया गया हो।</p>	<p>2</p>
--	---	--	---	----------

<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>
<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>	<p>परियोजना के सफल होने वाले</p>

<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स प्रति की क्षमता के लिए योग्य नहीं है।</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>
<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>	<p>अपेक्षित किरायेदार, टेका खेतीदार, पट्टे धरक और शेयर कोपर्स</p>

<p>दी जाएगी जबकि शेष राशि भूमि के कब्जे के समय ही जाएगी। (पैरा 7.21.4 एन आर आर पी 2007)</p>	<p>(ख) सामुदायिक अवसरचना/सामुहिक संपत्ति संसाधनों की हानि</p>	<p>11 रास्ते में ढांचे और अन्य संरचनाएं (जैसे सार्वजनिक सेवाओं की पहुँच आदि) सामुदायिक ढांचे और सार्वहिक ढांचे का पुनः निर्माण और सामुहिक संपत्ति संसाधनों का स्थापना-पुनः</p> <p>12 निर्माण के दौरान प्रभावित भूमि और संपत्तियों के स्वामी निर्माण के दौरान अस्थायी प्रवास के जैसे सामान्य यातायात का भारी मशीनरी और प्लांट स्थल के स्वामियों के संचालन के लिए मूल्य निर्धारण के लिए प्रस्तावित किया जाएगा जो भूमि की बाजार दर का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मापदंड का उल्लेख करता है:-</p>
---	---	---

नोट क

1. अलग प्राधिकारी द्वारा क्षतिपूर्ति का निर्धारण और एन आर आर पी 2008, धारा 20 की अंतर्गत प्रस्तावित भूमि के अनुसार किया जाएगा जो भूमि की बाजार दर का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित मापदंड का उल्लेख करता है:-

<p>स्वामी जिन्होंने उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत 750 दिनों के अंदर न्यूनतम मजदूरी की सहायता का लाभ लेने, इस सहायता के पात्र नहीं होंगे।</p> <p>(ii) प्रत्येक परिवार को ₹90 4000/- सहायता प्राप्त करने हेतु।</p> <p>(iii) परिवोजना टेकेंदार द्वारा निर्माण के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को (विशेष तौर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को) अस्थायी रोजगार</p>	<p>(क) बलनरेबल रूप (बैसा कि नोट ड में परिभाषित किया गया है) और परीची रेखा से नीचे वालों को अतिरिक्त सहायता</p>	<p>9 रास्ते में आने वाले प्रभावित परिवार प्रभावित परिवार</p> <p>(ख) अनु. ज. जाति के प्रभावित परिवारों की अतिरिक्त सहायता</p> <p>10 प्रभावित जाति जाति</p> <p>(i) प्रस्तावित उपयोग या अन्य उद्देश्य के लिए जाति के प्रभावित परिवार को न्यूनतम बराबर एक अतिरिक्त एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाएगी। (पैरा 7.21.5 एन आर आर पी 2007)</p> <p>(ii) भूमि अधिग्रहण के मामले में प्रत्येक अनुमान जाति के प्रभावित परिवार को क्षतिपूर्ति राशि की कम से कम एक तिहाई राशि प्रथम किस्त के रूप में प्रारंभ में</p>
---	--	--

(i) न्यूनतम भूमि दर, यदि कोई हो, क्षेत्र में किसी कार्यो के पूर्वाकरण के लिए भारतीय स्टैप अधिनियम 1989 में उल्लिखित, जहां भूमि स्थित हो, या

(ii) गांव या आस पास के क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए किसी मूल्य का औसत, तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत बिक्रीनामों के 50 प्रतिशत से कम न हो, जहां उच्च क्षेत्रत दी गई है, जो अधिक हो।

2. जहां कहीं उपरोक्त प्रावधान लागू न हों, संबंधित राज्य सरकार द्वारा भूमि की प्रति इकाई क्षेत्र की फ्लोर कीमत का आस पास के क्षेत्र में स्थित उसी प्रकार वाली भूमि के लिए दिए गए औसत उच्च मीमतों के आधार पर उल्लेख करेगी जो पिछले 3 वर्षों के दौरान पंजीकृत बिक्रीनामों के 50 प्रतिशत से कम न हो जहां उच्च कीमत दी गई हो और सक्षम प्राधिकारी तदनुसार भूमि के मूल्य की गणना करे (आर ए ए 2008 की धारा 20 जी का अनुपालन किया जाएगा)

3. क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण करते समय सक्षम प्राधिकारी या सचिव आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (b) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित बातों का भी ध्यान रखेंगा।

(i) भूमि का कब्जा लेते समय इच्छुक व्यक्तियों द्वारा यदि कोई रुकसान किया गया है जिस कारण अधिग्रहण उसकी अन्य जगह स्थिति या उसकी आय को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता हो

(ii) भूमि का कब्जा लेते समय इच्छुक व्यक्तियों द्वारा कोई रुकसान किया गया है जिस कारण अधिग्रहण उसकी अन्य जगह स्थिति या उसकी आय को किसी भी प्रकार से प्रभावित करता हो

(iii) यदि भूमि के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप इच्छुक व्यक्ति को उसका निवास या व्यापार स्थल बदलने के लिए दबाव झेलना पड़े तो इस संबंध में होने वाले खर्च, यदि कोई है तो ऐसे परिवर्तन के लिए व प्रासंगिक होने।

4. अधिगृहीत की जा रही भूमि के बाजार मूल्य का मूल्यांकन और निर्धारण करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित करेंगा :-

(i) ऐसी भूमि की नियत भूमि के प्रयोग की श्रेणी को जान लेना और
(ii) समीपवर्ती क्षेत्रों या आस पड़ोस में भूमि की नियत श्रेणी के मूल्य को जान लेना।

5. प्रयोगकर्ता के अधिकार के मामले में या किसी दूसरे की समर्पित पर अधिकार की प्रकृति यदि कोई भूमि अधिगृहीत की जाती है तो आर ए ए 2008 की धारा 20 एफ (d) के अंतर्गत निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि के 10 प्रतिशत की राशि का मुआवजा ई ए द्वारा आदेशित और अन्य दूसरे व्यक्ति को जिनका भूमि के प्रयोग का अधिकार प्रभावित होता हो, को किया जाएगा।

नोट 'ख'

डीएफसीडीआईएल सरकार के साथ संबंधित एक स्वतंत्र मूल्यांकन कर्ता को रखेंगी जो निम्नानुसार स्वतंत्रतापूर्वक मूल्य का मूल्यांकन करने के लिए सहायता कर सकता है और सक्षम प्राधिकारी तथ्य उपलब्ध करा सकता है:

(i) हाल ही में बिक्री किए गए और इस्तारगत किए गए आगम पट्टों का मूल्यांकन करना और गांव या शहरी क्षेत्र और आस पड़ोस में उसी तरह की भूमि के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र।

(ii) जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वेक्षक रेट को लागू करना।

(iii) भूमि के लिए कृषि उत्पादकों दर तय करना -- 20 वर्षों के लिए।

भूमि के लिए क्षतिपूर्ति तय करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी यदि चाहे तो स्वतंत्र मूल्यांकन से राय ले सकता है।

नोट 'ब'

यदि शेष बचे हुए क्वाट (प्लॉट) एनोमिकली जीने के योग्य नहीं है तो ई. ए. एच में लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करेंगा और तदनुसार क्षतिपूर्ति करेगा, यदि ई. ए. की खरीद के बाद जिले में मौजूद भूमि के औसत से शेष वाली हुई भूमि कम है तो इस संबंध में वहां राज्य के विधान और विनियम स्पष्ट नहीं है तो प्रभावित पार्टी से करार करते समय ई. ए. निम्नलिखित में से एक का अनुपालन करेंगा :-

(i) ई. ए. इन्वैस्टमेंट शैड्यूल में सूचीबद्ध इन्वैस्टमेंट शैड्यूल का अनुपालन करते हुए परिचोदना के लिए शेष भूमि की खरीद करेगा : या

(ii) ई. ए. भूमि की क्षतिपूर्ति का 25 प्रतिशत प्रभावित पार्टी को उस जमीन के लिए देगा जो खरीदी नहीं गई हो।

नोट 'घ'

घरों, भवनों और अन्य अचल संपत्तियों के लिए क्षतिपूर्ति का निर्धारण बिना मूल्य ह्रास के आधार सूची दर का संश्लेषण करते हुए स्थानापन्न लागत के आधार पर किया जाएगा। आधार सूची दर का विचार करते समय सरकार के साथ पंजीकृत स्वतंत्र मूल्यांकन क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण इलाकों में रिहायशी और वाणिज्यिक इकाओं के लिए नवीनतम आधार सूची दर और मालिकों से परामर्श करके प्रयोग करेंगे।

नोट 'ङ'

एन आर आर भी 2007 वर्ल्डबैंक व्यक्तियों को अवॉयस, निवास, अनाथ, विधवा, अविवाहित लड़कियों, परिवर्ता स्त्री या ऐसे व्यक्ति विराज्जी उम्र 50 वर्ष से अधिक है, जिन्हें ईकांतिक आजीविका उपलब्ध नहीं है और जो कहीं भी परिवार के हिस्से के रूप में कवर नहीं होते हैं, को परिभाषित किया गया है। (पृ. 6.4 (v) एन आर आर भी 2007)

नोट 'च'**सीमांत किसान**

ऐसा खेतीदार जिसके पास एक हेक्टेयर तक असिंचित भूमि हो या आगे हैक्टयर तक सिंचित हो।

छोटा किसान

ऐसा खेतीदार जिसके पास दो हेक्टेयर तक असिंचित भूमि है या एक हेक्टेयर तक सिंचित भूमि हो, किन्तु सीमांत किसान से अधिक हो।

अतिकमणकारी

एक व्यक्ति/परिवार जो अपनी समीपवर्ती भूमि या अन्य अचल सम्पत्ति को साथ सार्वजनिक भूमि में अतिकमण करता है (अन्तिम तारीख से पहले) और अपना आश्रय/आजीविका का अतिरिक्त स्रोत प्राप्त करता है।

स्कैटर्स

ऐसा व्यक्ति/परिवार जो बिना अनुमति के सार्वजनिक भूमि पर स्थापित हो गया है या अंतिम तारीख से पहले बिना किसी प्राधिकार के सार्वजनिक भवन का

इस्तेमाल कर रहा है और अपने आश्रय/आजीविका के लिए निर्भर है और उसका कोई आश्रय या आजीविका का स्रोत नहीं है।

महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव

महाराष्ट्र ने डीएफसी के विषये भूमि अर्जित करने हेतु मुलाजमे का दर निर्धारित करने के विषये महाराष्ट्र सरकार ने डीएफसीआईएल के लिए निची भूमि के अधिग्रहण हेतु दर निर्धारण करने के लिए एक सरकारी प्रस्ताव (CR) जारी किया है। इसमें अनुसार शक्ति में कलेक्टर (विद्यमान), एस एन ए आफिसर/सहाय प्राधिकारी (सदस्य सचिव) और 5 अन्य सदस्यों की प्रतिनिधि बनेगी।

भूमि का दर निर्धारित करने के लिए, शक्ति, अनटाइटिलमेंट मैट्रिक्स का नोट-क, आर आर ए 2008 का पैरा 20 भी और अन्य जैसे कि पी ए पी ए के दारो, संयुक्त मा/सर्वेक्षण के परिणाम, भूमि के बाजार सर्वेक्षण रिपोर्ट को खोज, आसपास की जगहों के स्थानीय फंडर को कि विषय भूमि को हीमत से सम्बन्ध रखते हो, को विचार में ले सकते हैं।

शक्ति, रेबी रेकनर 4 जसी वर्ष के सेल्स डील की दरों की तुलना करपी एवं भूस्वामी को सम्बन्ध दर का प्रस्ताव करपी।


अगर भू-स्वामी प्रस्तावित दर से सहमत नहीं होता है तो शक्ति गांव वालों को श्रीकार्य दर का पता लगाने एवं सभी को डीएफसीआईएल के पास मजूरी के लिए धिकारिश करेगी और फिर शक्ति तदनुसार दर निर्धारित करेगी।

शक्ति निरुपचार रूप से महीने में एक बार निवारणीय गांवों के दर निर्धारण हेतु मिलेगी। शक्ति, महाराष्ट्र राज्य के अन्तर्गत डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर की योजना के लिए उन सभी गांवों के लिए दर को अंतिम रूप देगी एवं सहाय प्राधिकारी को स्वीकृति एवं सवितरण के लिए सलाह देगी।


संस्थागत व्यवस्थाएं

डीएफसीडीईएल परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी होने के नाते परियोजना के समस्त तकनीकी पहलुओं और उनके कार्यान्वयन तथा उधार ली गई राशि की निगरानी और समस्त कार्यान्वयन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार है। प्रबंध निदेशक, डीएफसीडीईएल संगठन का मुखिया होने के नाते आर ए पी के संकलनापूर्वक

क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है। डीएफसीडीईएल ने पहले ही सूत्र, मुल्की और नोरवा में परियोजना प्रबंध इकाई का कार्य करने के लिए मुख्य परियोजना प्रबंधक कार्यालय (सीपीएफ् आफिस) स्थापित कर दिए हैं और महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी द्वारा इनका नेतृत्व किया जाता है। प्रधान कार्यालय में एक पर्यावरण और सामाजिक इकाई (सीएम) महाप्रबंधक स्तर के एक अधिकारी के नेतृत्व में स्थापित की गई जिसका काम भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास तथा पुनः स्थापना प्रक्रिया देखना है। प्रधान कार्यालय और परियोजना कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा चित्र 1 और चित्र 2 में दर्शाया गया है।



चित्र-1 प्रधान कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा



चित्र-2 परियोजना कार्यालय का संगठनात्मक ढांचा

<p>डीएफसी में कार्पोरेट स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली</p> <p>(1) क्षेत्रीय स्तर पर शिकायत निपटान प्रणाली</p> <p>कृषि, आयातीय, वाणिज्यिक और अन्य अल्पसंख्यकों से संबंधित शिकायत प्रारम्भिक तौर पर 90 परियोजना प्रबन्धक कार्यालय द्वारा निपटारा होगा। अगर कारणजनों को जौन सन्तविक लगते है तो 90 परि0 प्रबन्धक ही उसे हल करेंगे। अगर उनको सार पर हल नहीं हो सकता है, तो उसे मुख्यालय को अग्रसारित किया जायेगा।</p> <p>(2) कार्पोरेट स्तर शिकायत निपटान प्रणाली</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एक केंद्रीकृत शिकायत निपटान प्रणाली जिसमें एक परियोजना सेलनाम्वा के साथ-साथ प्राप्त शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई की स्थिति को दर्शाते हट्टुए एक प्रणाली की स्थापना डीएफसीसीएल द्वारा की जाएगी। 2. शिकायत निपटान प्रणाली एम आ आर और मुख्य सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित की जायेगी। 3. शिकायत रजिस्ट्रर प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय और कार्पोरेट स्तर पर प्रत्येक समूह महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक के पास रख दिया गया है। संबंधित कार्यालय द्वारा प्राप्त सभी शिकायतों इस रजिस्ट्रर में दर्ज की जाएगी। सतर्कता कोण वाली शिकायतों को संबंधित अधिकारी द्वारा मुख्य सतर्कता अधिकारी के पास भेजा जाएगा। 4. प्राप्त शिकायतों के निपटान की निगरानी के लिए महाप्रबन्धक/प्रौद्यो. को नामित किया गया है जो मासिक आधार पर निदेशक मंडल को स्थिति प्रस्तुत करेंगे। 5. प्रत्येक मामले की स्वचालित उत्पत्ति, धनक प्रपत्र रिपोर्ट सभी प्राप्त शिकायतों के रिपोर्ट और निपटान की निगरानी डीएफसीसीएल की होगी। 6. डीएफसी सभी शिकायतों, चाहे वे किसी भी स्तौत से प्राप्त हुई हों, का उत्तर सामान्यतः प्राति के 15 दिनों के अंदर देनी। 7. रिपॉणियों, सुझावों और शिकायतों के निपटान से संबंधित एक घटक वेबसाइट (http://www.dfccil.org) पर शामिल किया जाएगा। इसे मासिक आधार पर अद्यतन किया जायेगा। शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतों की आनलाइन ट्रैकिंग में भी यह साइट सहम होगी। 	<p>8. जानों की स्थिति की ट्रैकिंग और लिए गए उपायों को प्रबंधन के पास जलने वाली मासिक रिपोर्टों में दर्ज किया जाएगा।</p> <p>8. शिकायत तंत्र के कार्यकुशल संचालन के लिए संबंधित सूचना को शिकायत के विभिन्न मायमों जैसे वेबसाइट, कार्यस्थलों और क्षेत्रीय कार्यालयों के सूचना पट्टों पर विस्तार से प्रकाशित किया जाएगा।</p> <p>लागत अनुमान</p> <p>अनुमानित बजट आर आर भी द्वितीय खरण के मुख्य रिपोर्ट में दर्शाया गया है।</p> <p>आर आर भी रिपोर्ट का विवरण</p> <p>विस्तृत सूचनाओं के साथ, आर आर भी रिपोर्ट निम्नलिखित खण्डों पर उपलब्ध होगी।</p> <p>— आर आर भी रिपोर्ट का सापसंध स्थानीय भाषा (हिन्दी या गुजराती या मराठी) में प्रत्येक प्रामानित गाँवों में</p> <p>— आर आर भी रिपोर्ट का सम्पूर्ण नाम— अंग्रेजी भाषा में सम्बन्धित 90 परि0 प्रबन्धक कार्यालय, डीएफसीसीएल मुख्यालय, प्रमुख रेलवे स्टेशनों एवं खिला कलेक्ट्रेट कार्यालयों में सम्बन्धित संपत्तियों के सम्पर्क सूत्र</p> <p>मुख्य परियोजना प्रबन्धक गुम्बई— सातवों मंजिल, न्यू ऐबेसिनिसट्रेटिंग बिल्डिंग, सेन्ट्रल रेलवे—डीएन रोड, गुम्बई 400001, महाराष्ट्र</p> <p>मुख्य परियोजना प्रबन्धक सुरत— चौथी मंजिल, सतर्कता-1 इजकोन गॉल के पास, दूमास रोड, पीपलोड, सुरत— 385007, गुजरात</p> <p>मुख्य परियोजना प्रबन्धक बलौर— 13-14, 17-18, पनोरमा कामपलेक्स, चौसरी मंजिल, आर.सी. दत्त रोड, अलकापुरी, बलौर—395007, गुजरात</p> <p>मुख्य परियोजना प्रबन्धक नोरखा— स्टार हाउस, फर्स्ट ग्लोर, ए-102, सेक्टर-4, नोरखा, उत्तर प्रदेश</p>
--	---

सक्षम प्राधिकारी:-

1. जिला रायगढ़:- काम्पौटेन्ट आथॉरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्व्यूजीसन) रायगढ़, मेट्रो सेंटर नं0-1, उद्यान,रायगढ़, सीआइडीसीओ नौदाल ऑफिस, इंजीनियरिंग सेक्सन, दोषानगरी, सेक्टर-14, बोकडवीरा, चौकला उद्यान,रायगढ़
2. जिला थाने:- काम्पौटेन्ट आथॉरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्व्यूजीसन आफिस), वेस्टर्न फ्रेट कोरीडोर, सूबा प्रकल्प, ईशानी रोड, ओपीसी, आइडबीआई बैंक,
3. जिला बलसाड:- काम्पौटेन्ट आथॉरिटी और डिप्टी कलेक्टर (लेण्ड इक्व्यूजीसन आफिस), सेकाड फ्लोर, जिला सेवा सदन-2, कलेक्टर ऑफिस, बलसाड
4. जिला नवसारी:- डिप्टी कलेक्टर और काम्पौटेन्ट आथॉरिटी, फस्ट फ्लोर, "सी" ब्लॉक, मल्टीस्टोरीड बिल्डिंग, जनाधना, नवसारी
5. जिला सूरत:- काम्पौटेन्ट आथॉरिटी और स्पेशल लेण्ड इक्व्यूजीसन ऑफिस, ब्रान्च नं0.4, पावर्षी नंजिल "ए" ब्लॉक, बहुमाली मदन, सूरत
6. जिला बड़दक:- काम्पौटेन्ट आथॉरिटी और स्पेशल लेण्ड इक्व्यूजीसन ऑफिस, लेण्ड इक्व्यूजीसन ब्रान्च, कलेक्टर ऑफिस, बडुसच
7. जिला वडोदरा:- स्पेशल लेण्ड इक्व्यूजीसन ऑफिसर यूनिट नं0.1, सन नं0-615, छठी मंजिल, कुबेर मदन, कोठी कम्पाउन्ड, वडोदरा
8. जिला रेगाडी:- डिप्टीकट रेवन्यू ऑफिसर(डी आर ओ), डी सी ऑफिस, मिनी सेक्रेटरियट, रेगाडी
- 9.जिला अलवर:- सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट (सीडीएम)/एसडीओ, एसडीएम/तिजारा, तहसील तिजारा, अलवर
10. जिला मेवात:- डिप्टीकट रेवन्यू ऑफिसर(डीआरओ),डीसी ऑफिस, डिप्टीकट सेक्रेटरियट, गूड, मेवात
11. जिला गुडगाँव:- डिप्टीकट रेवन्यू ऑफिसर(डीआरओ), मिनी सेक्रेटरियट, गुडगाँव
- 12.जिला पलवल:- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम),एसडीएम ऑफिस, पलवल

13. जिला फरीदाबाद:- डिप्टीकट रेवन्यू ऑफिसर (डीआरओ),मिनी सेक्रेटरियट, सेक्टर-12,फरीदाबाद

14. जिला गौतमबुद्ध नगर:- सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम (सबर), डीएम ऑफिस, मातमदुड नगर

सेन्यू, डीएफसीपीआईएल डेड ऑफिस:- प्रगति मैदान, नेट्रो स्टेशन बिल्डिंग, न्यू दिल्ली- 110001

